

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभासी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल उत्तर बैतूल में प्रस्तावित रकबा 97.143 हे. वन/राजस्व वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य के उपयोग हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, पाशाखेड़ा जिला बैतूल को निम्नलिखित शर्तों पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने के बाद भी भूमिगत खनन कार्य करने के कारण प्रकरण में हुए उत्खनन के फलस्वरूप दाण्डिक वृक्षारोपण एवं एन.पी.व्ही. की शर्त अधिरोपित की जाय।
----	--	----	--

दिनांक:

स्थान:

07/11/12

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव वन विभाग
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)